न्यायालय षष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

सत्र परीक्षण संख्या 113/2010
राज्य प्रति कृष्ण गोपाल आदि
मुकदमा अपराध संख्या 65/2010
धारा 147, 148, 504, 506, 307 भा0दं0सं0
थाना हरदी, जनपद बहराइच ।

दिनांक 16–11–2018

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। पूर्व तिथि पर दोनो पक्षो को प्रार्थना पत्र 84 बी पर सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र 84 बी वादी की ओर से इस आशय का दिया गया है कि इस वाद मे न्यायालय द्वारा साक्ष्य बन्द कर दिया गया है, परन्तु पुलिस के गवाह व चिकित्सक अभी तक बतौर गवाह प्रस्तुत नही हुये है, जो इस वाद के लिए आवश्यक है। अतः आवश्यक गवाहों को तलब कर गवाही करायी जाय। प्रार्थना पत्र को सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा समर्पित किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद धारा 307 भा0दं0सं0 का सन् 2010 का पुराना मुकदमा है और आरोप का गठन दिनांक 02–01–2014 को हुआ है और न्यायालय द्वारा अभियोजन को गवाही प्रस्तुत करने का काफी अवसर दिया जा चुका है तथा उसका साक्ष्य दिनांक 08–10–18 को बन्द किया जा चुका है। तत्पश्चात् यह प्रार्थना पत्र दिया गया है। यद्यपि पुलिस के गवाह व चिकित्सक आवश्यक गवाह है, अतः सभी तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर तथा न्यायहित मे अभियोजन को एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत है और इसी आधार पर प्राथना पत्र 84 बी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 23–11–2018 को पेश हो।

षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच